



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270207
CG-DL-E-17022026-270207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 810]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 810]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 850(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021का 14) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 मार्च, 2024 को प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना में,

(क) “उक्त अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अंतर्गत आयोग का अध्यक्ष” से संबंधित पैरा 1 में निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात्:

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अंतर्गत आयोग का अध्यक्ष: डॉ. यज्ञा उन्मेष शुक्ला, प्राचार्य, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज और अध्यक्ष, गुजरात राज्य फिजियोथेरेपी परिषद, को 8 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, अर्थात् उनके मूल संवर्ग में उनकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति तक, कथित दो वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्त किया जाता है और तत्पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर लागू होने वाले निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, शेष दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर पुनर्नियोजित किया जाता है ;

(ख) "धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के अंतर्गत आयोग के अंशकालिक सदस्य" से संबंधित, पैरा 4 की सारणी में क्रम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, और 19 के सापेक्ष स्तम्भ (2) में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

स्थिति (2)
" डॉ. रश्मि शुक्ला (पीएचडी), वैज्ञानिक II, साइटोजेनेटिक्स और मौलिक्यूलर जेनेटिक्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
श्री रवि सुरला, गुनुपति वेंकट कृष्ण रेड्डी आपातकालीन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (जीवीके ईएमआरआई), हैदराबाद
डॉ. केएम अन्नमलई (पीएचडी), कुलाधिपति-गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गुजरात
डॉ. जगमीत मदान (पीएचडी), प्राचार्य और प्रोफेसर, खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान विभाग और निदेशक, अनुसंधान, परामर्श एवं सहयोग केंद्र, सर विठलदास ठाकरेसी गृह विज्ञान कॉलेज, मुंबई
डॉ. रमानी कृष्ण कुमार (पीएचडी), फेकल्टी, एलीट स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री, चेन्नई
डॉ. अखिलेश कुमार शुक्ला (पीएचडी), निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईएमएचआर), मध्य प्रदेश
डॉ. सोनिया परेरा दुरई (पीएचडी), प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), असम
श्री सिरामदास श्रीनिवासुलु, प्रभारी एवं प्राचार्य एवं रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ), निज़ाम्स इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, हैदराबाद
डॉ. जगदेश्वरन डी (पीएचडी), डीन एवं प्रमुख, अपोलो इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एलाइड साइंसेज़, चेन्नई
डॉ. साबू के. एम. (पीएचडी), प्रोफेसर, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन विभाग, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स (एमसीपीएचपी), मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (एमएएचई), उडुपी I";

2. उपरोक्त उप-पैरा (ख) में उल्लेखित आयोग के अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल तारीख 17 दिसम्बर, 2025 से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. जेड-28016/03/2023-एएचएस]

डॉ. विनोद कोतवाल, अपर सचिव

[टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्या का.आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024 को प्रकाशित की गई थी और तदोपरांत अधिसूचना संख्या का.आ. 1066 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2025 और अधिसूचना संख्या का.आ. 4636 (अ), तारीख 08 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 850(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with section 4 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024 of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th March, 2024, namely:—

1. In the said notification, —

(a) for paragraph 1, relating to "Chairperson of the Commission under clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the said Act, the following shall be substituted, namely: —

Chairperson of the Commission appointed under clause (a) of sub-section(3) of section 3: Dr. Yagna Unmesh Shukla, Principal, Government Physiotherapy College, and President, Gujarat State Council for Physiotherapy, is reappointed for a period of two years or until further orders, whichever is earlier, with effect from the 8th day of January, 2026, till 31st day of January, 2027, being the date of her superannuation in the parent cadre, and thereafter on re-employment on a contract basis for the remaining period of the said two-year term, on the usual terms and conditions applicable to retired Government officers, or until further orders, whichever is earlier;"

(b) in paragraph 4, relating to "Part-time Members of the Commission under sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (3) of section 3" in the Table, in column (2), for the entries against serial numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19 , the following entries shall respectively be substituted, namely: —

Status
(2)
"Dr. Rashmi Shukla (PhD), Scientist II, Cytogenetics and Molecular Genetics, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
Shri. Ravi Surla, Gunupati Venkata Krishna Reddy Emergency Management and Research Institute (GVK EMRI), Hyderabad
Dr. KM Annamalai (PhD), Chancellor-Gandhigram Rural Institute, Gujarat
Dr. Jagmeet Madan (PhD), Principal and Professor, Dept. of Food Nutrition and Dietetics; Director, Research, Consultancy, and Collaboration Centre, Sir Vithaldas Thackersey College of Home Science, Mumbai
Dr. Ramani Krishna Kumar (PhD), Faculty, Elite School of Optometry, Chennai
Dr. Akhilesh Kumar Shukla (PhD), Director, National Institute of Mental Health Rehabilitation Training and Research (NIMHR), Madhya Pradesh
Dr. Sonia Pereira Deuri (PhD), Professor and Head, Department of Psychiatric Social Work, Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Assam
Shri Siramdas Srinivasulu, In-charge and Principal & Radiological Safety Officer (RSO), Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad
Dr. Jagadeswaran D (PhD), Dean & Head, Apollo Institute of Hospital Management and Allied Sciences, Chennai
Dr. Sabu K M (PhD), Professor, Department of Health Information Management, Manipal College of Health Professions (MCHP), Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Udupi.";

2. The tenure of the Part-time Members of the Commission mentioned in sub-paragraph (b) above shall be for a period of two years, with effect from the 17th December, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. Z-28016/03/2023-AHS]

Dr. VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 1066 (E), dated the 28th February, 2025, and S.O. 4636 (E), dated the 08th October, 2025.